रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1414] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 14, 2010/आषाढ़ 23, 1932

No. 1414] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 14, 2010/ASADHA 23, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2010

(आयकर)

का.आ. 1667(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (15) के उप-खण्ड (vii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त उप-खंड के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित ब्यौरों के साथ वित्तीय द्वितीय ट्रांश बांड विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात्:—

(क) बान्ड का नाम	भारत सरकार की पूल्ड वित्त विकास योजना के तहत कर मुक्त पूल्ड वित्त विकास बान्ड (द्वितीय ट्रांश)।
(ख) जारी करने वाला प्राधिकारी	जल एवं स्वच्छता पूल्ड निधि, तमिलनाडु जो कि तमिलनाडु राज्य के लिए राज्य पूल्ड वित्त संस्था के रूप में पदनामित है।
(ग) प्रयोजन	तमिलनाडु की जल पूर्ति योजना एवं भू-मल व्ययन योजना के अधीन सात शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं को अंशत: निधि प्रदान करना।
(घ) बान्ड की अवधि	पांच वर्ष के मूल अधिस्थगन काल के साथ दस वर्ष।
(ङ) कुल निर्गम मात्रा	तिरासी करोड़ उन्नीस लाख रुपये मात्र।
(च) ब्याज	आठ प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक नहीं।

(2) उक्त बान्ड निम्नलिखित के अधीन विनिर्दिष्ट हैं:—

(i) शहरी विकास मंत्रालय के संकल्प सं. के-14011/40/01-यूडी. II (वाल्यूम. III), दिनांक 25 अक्तूबर, 2006 द्वारा अधिसूचित्त पूल्ड वित्त विकास योजना हेतु दिशानिर्देशों में दी गई शर्तें तथा शहरी विकास मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन फा. सं. के-14011/40/01-यूडी. II(वाल्यूम. III), दिनांक 7-6-2007 द्वारा परिचालित कर मुक्त पूल्ड वित्त विकास बान्ड को जारी करने हेतु दिशानिर्देश; एवं

(ii) यह शर्त कि वे सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने से बारह महीनों की अवधि के भीतर जारी किए जाएं।

[अधिसूचना सं. 52/2010/फा. सं. 164/1/2010-आ.क.नि-I]

पदम सिंह, अवर सचिव (आ.क.नि.-1)